कार्यालय उपमहाप्रबंधक
दूरसंचार, परियोजना
वाराणसी
क्रम सं0. 256
दिनांक 10-6-08
भारत संचार निगम लिमिटेड

## शुद्धि-पत्र

११ फरवरी, १९६० ई०

सं० ५११-एस-टी/३६-ए—१२१६ (एस-टी)-५९—उत्तर प्रदेश गजट (भाग १), दिनांक ९ जनवरी, १९६० ई० के पृष्ठ-संख्या २२ पर प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या ६७९७ (एस-एम)/३६-ए—१२१६ (एस-एम)-५९, दिनांक २ जनवरी, १९६० ई० में शब्द "सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जीनियर" के स्थान पर शब्द "सुपरिटेन्डिंग इन्जीनियर" पढ़िये।

आज्ञा से,
हरीश चन्द्र सक्सेना,
सचिव।

## वन विभाग

### विविध

१० फरवरी, १९६० ई०

सं० १११५/१४—३३१-५०—उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का मत है कि इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट सं० १६, १९२७) की धारा २९ की उपधारा (३) के अधीन अपेक्षित जांच तथा अभिलेख करने में इतना अधिक समय लगेगा कि इस बीच राज्य सरकार के अधिकारों को खतरा हो सकता है।

अतएव उपर्युक्त उपधारा के प्रतिबन्धक द्वारा और उपर्युक्त ऐक्ट की धारा ८०-ए के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (१) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि इस प्रकार जांच तथा अभिलेख करने तक उक्त ऐक्ट के अध्याय ४ के उपबन्ध संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर लागू होंगे।

### अनुसूची

| जिला | नाम सड़क | दूरी मील, फर्लांग और फीटों में | विवरण |
|---|---|---|---|
| १—मेरठ सीट | १—मेरठ-बागपत रोड | ३ मील से ३१ मील २ फ० | भूमि की सीमा पत्थरों द्वारा अंकित की गई है। |
| | २—बागपत—सहारनपुर | १ मील से २४ मील २ फ० | " |
| | ३—बागपत—लोनी—शाहदरा | शून्य से १७ मील २ फ० २६० फीट तक | " |
| | ४—मेरठ—बुढ़ाना | २ मील से १७ मील | " |
| | ५—मेरठ—बुलन्दशहर | २ मील से २९ मील तक | " |
| | ६—डी० आर० एम० रोड | ४१ मील से ५५ मील | " |
| | ७—जी० टी० रोड | ८७० मील से ८७३ मील | " |
| | ८—बेगमाबाद—बनसटीकरी | १ मील से ६ मील | " |
| | ९—मुरादनगर रेलवे | शून्य से २ फ० १०६ फीट तक | " |
| | १०—मोदीनगर—रेलवे फीडर | शून्य से ६४० फीट तक | " |
| | ११—मोदी.नगर—रेलवे फीडर | शून्य से ४ फ० १० फीट तक | " |
| | १२—मेरठ—सदरना रोड | २.४२६ से १२.३.३२० | " |
| | १३—दूरेला—सदरेना रोड | ०.०.० से ६.४.२६० | " |
| | १४—बुलन्दशहर—सेनागढ़ रोड | २३ मील से ३१ मील ३ फ० २०० फीट तक | " |
| | १५—बरौट—चपरौली | १ से ९ मील | " |
| | १६—मेरठ—बरेली रोड | २३ मील से ३१ मील ३ फ० २०० फीट तक | " |
| | १७—नेशनल हाईवेरट नं० २४ | २८ मील ६ फ० से ८ फ० तक ३ मील १ फ० से ३ फ० तक | " |
| | १८—जी० टी० रोड-गाजीपुर से उत्तर प्रदेश बाउन्डर | ८७४ मील ५४८ फ० से ८७९ मील २ फ० ७० फीट तक | " |
| | १९—गाजीपुर—हापुर रोड | १ मील से २१ मील ६ फ० २४९ फीट तक | " |
| | २०—हापुरगढ़ रोड | १ मील ४८४ फीट से १९ मील ४ फ० ७० फीट तक | " |
| २—मुजफ्फरनगर | १—डी० आर० एम० रोड | ५६ मील से ९१ मील | " |
| | २—खतौली—जनसेथ—मिरापुर—बिजनौर | २४ मील ६ फ० से २ मील ३१ फीट तक | " |
| | ३—मुजफ्फरनगर—शामली—कैराना | २ मील से ३१ मील | " |
| | ४—मुजफ्फरनगर—सहारनपुर | ७७ मील से १० मील | " |
| | ५—मुजफ्फरनगर—बिजनौर | ७३ मील से २१ मील तक | " |
| | ६—मोरना—रकीरातात | शून्य से ३ मील तक | " |
| | ७—मुजफ्फरनगर—बुढ़ाना—[illegible] | ७ मील तक | " |
| | ८—मुजफ्फरनगर—बागपत—सहारनपुर रोड | २४ मील से ५३ मील ३ फ० तक | " |



16/12/19
Sanjay Kumar
Duly Constituted Attorney
Hindustan Petroleum Corporation Limited

भाग १] [illegible] [पृष्ठ]

| जिला | मार्ग [illegible] | दूरी मील, फ० और फीट में | विवरण |
|---|---|---|---|
| ३९—बस्ती | १—[illegible] रोड [illegible] | ८९ मील से १४८ मील तक [illegible] | भूमि की सीमा पत्थरों द्वारा अंकित की गयी है। |
| | २—ओ० टी० रोड [illegible] | मील ८९ से ९२ [illegible] | " |
| | ३—बस्ती—डुमरियागंज [illegible] रोड | मील ५ फ० १ से [illegible] | " |
| | ४—खलीलाबाद—[illegible] रोड | मील १ से १५ | " |
| | ५—खलीलाबाद—[illegible] मिश्रौलिया रोड | मील १ से १४ मी० [illegible] | " |
| | ६—खलीलाबाद रेलवे स्टेशन | शून्य से २ फ० तक | " |
| | ७—बस्ती—[illegible] रोड | शून्य से १२ मील० २ फ० | " |
| | ८—बस्ती—[illegible] रोड | १ फ० २१८ फीट से १ मील १ फ० तक | " |
| | ९—मेंहदावल—[illegible] | शून्य से १४ मील ३ फ० | " |
| | १०—[illegible]—[illegible] बार्डर रोड | शून्य से ५ मील ४ फ० | " |
| | ११—[illegible]—[illegible] रोड | शून्य से १६ मील ३१० फीट | " |
| ४०—गोंडा | १—बहराइच—बलरामपुर रोड | मील २९ से ३९ तक | " |
| | २—गोंडा—बलरामपुर रोड | मील ० से २६ तक | " |
| | ३—बलरामपुर—तुलसीपुर रोड | मील ० से १७ तक | " |
| | ४—बलरामपुर—[illegible] रोड | मील ० से १७ तक | " |
| | ५—तुलसीपुर—नेपाल बॉर्डर रोड | शून्य से १५ तक | " |
| | ६—[illegible]—गोंडा [illegible] | मील २४ से मील ५५ तक | " |
| | ७—फैजाबाद—बहराइच रोड | मील ८ से मील ४९ तक | " |
| | ८—गोंडा—[illegible] रोड | मील १ से १२ (२ फ०) | " |
| | ९—नवाबगंज—[illegible] रोड | मील १ से १७ (७ फ०) | " |
| | १०—गोंडा—[illegible] | मील १ से १२ (२ फ०) | " |
| | ११—[illegible]—बहराइच रोड | मील २८ से ३५ (४ फ०) | " |
| | १२—[illegible] से [illegible] रोड, [illegible] | मील १ से ४ (१, ३/४ फ०) | " |
| | १३—[illegible]—[illegible] | मील १ से १ (६ फ०) | " |
| | १४—[illegible] बार्डर रोड, पी० डी० डी० | मील १ से ४ (२ फ०) | " |
| ४१—बहराइच | १—फैजाबाद—बहराइच रोड [illegible] | मील ५० से मील ७४ तक | " |
| | २—[illegible] रेलवे [illegible] | मील ० से [illegible] फीट तक | " |
| | ३—[illegible] रेलवे [illegible] मील रोड | मील ० से २ फ० १९९ फीट तक | " |
| | ४—[illegible] रोड—[illegible] रोड बहराइच | मील ० से ३ फ० २९२ फीट तक | " |
| | ५—बहराइच रेलवे स्टेशन | मील ० से ३ फ० २९२ फीट तक | " |
| | ६—[illegible] रोड—[illegible] | मील ० से १ फ० ८५७ फीट तक | " |
| | ७—[illegible] रोड | मील ० से १ फ० [illegible] फी० तक | " |
| | ८—बहराइच—[illegible] रोड | १ मील से २७ तक | " |
| | ९—बहराइच—[illegible] रोड | मील १ से १९ तक | " |
| | १०—बहराइच—[illegible] रोड | मील १ से २९ तक | " |
| | ११—बहराइच—[illegible] रोड | मील ० से २० मील [illegible] फीट तक | " |

छायाप्रति प्रमाणित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
बस्ती

[illegible] 16/12/19
Sanjay Kumar
Duly Constituted Attorney
Hindustan Petroleum Corporation Limited